न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–424/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00367)

1. मनोज गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल, जाति महाजन, निवासी ग्राम पावटा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 14.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के आदेश दिनांक 10.10.2017 (प्रकरण संख्या 146/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 715/0.25 वाके मौजा ग्राम पंडितपुरा जिसके साबिक खसरा नम्बर 580 वाके मौजा ग्राम पण्डितपुरा तहसील कोटपुतली के बतरफ उत्तर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 700/1.89 वाके मौजा ग्राम पण्डितपुरा जिसके साबिक खसरा नम्बर 448, 468, 464, 578, 579, 596 वाके ग्राम पण्डितपुरा स्थित है, उपरोक्त आराजी वर्तमान सैटलमेन्ट के पश्चात् हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज थी को बाद में गैर मुमकिन नाला अंकित कर दिया जिसे दुरूस्ती हेतु पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2017 द्वारा खारिज किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 715/0.25 साबिक खसरा नम्बर 580 वाके मौजा ग्राम पण्डितपुरा से बना है, के बतरफ उत्तर में आराजी साबिक खसरा नम्बर 579 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि स्थित है एवं उसी अनुसार आज भी मौके पर गैर मुमकिन रास्ता मौजूद है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से उपरोक्त भूमि गैर मुमकिन नाला अंकित कर दी गई, उपरोक्त तथ्य हाल साबिक नक्शा व जमाबन्दी से बखुबी साबित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य का बिना अवलोकन किये ही प्रार्थना पत्र खारिज करने की भारी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 700 साबिक खसरा नम्बर 578 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, साबिक रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता है तथा आराजी साबिक

P.T.O.

खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा गोकुल सिंह वगैराह की किस्म चाही खातेदारी की भूमि तथा महज आराजी हाल खसरा नम्बर 700 में शामिल साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन नाली की भूमि शामिल हुयी है जो साबिक रिकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 465 के बतरफ दक्षिण में स्थित है, शेष भूमि गैर मुमकिन रास्ता व गोचर भूमि है परन्तु सहवन से लिपिकीय भूलवंश सम्पूर्ण भूमि को गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्ती हेतु अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से बखुबी साबित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का बिना अवलोकन किये ही अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की भारी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि साबिक रिकार्ड के अनुसार ही वर्तमान रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 700 को साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करना चाहिये था परन्तु तहसीलदार कोटपुतली द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 512 साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल नक्शे में तरमीम न कर दीगर स्थान पर यानी पूर्व में स्थित गैर मुमकिन नाली आराजी साबिक खसरा नम्बर 464 जो कि महज खसरा नम्बर 465 के बतरफ दक्षिण में स्थित है, के स्थान पर सम्पूर्ण भूमि को गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने की भारी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार कोटपुतली द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर भी से दिनांक 23.07.2015 को रिपोर्ट प्राप्त की थी, उपरोक्त रिपोर्ट में पटवारी व गिरदावर द्वारा बाद जांच यह पाया कि साबिक बन्दोबस्त 2008–2024 के अनुसार खसरा नम्बर 700 के साबिक खसरा नम्बर 578, 579, 448, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है व खसरा नम्बर 468 निजी खातेदारी की भूमि है जबकि हाल साबिक नक्शे के अवलोकन मात्र से ही यह जाहिर है कि उक्त भूमि का कोई हिस्सा हाल खसरा नम्बर 700 में समायोजित नही हुआ है परन्तु वर्तमान मिलान क्षेत्रफल में सहवन से उक्त खसरा नम्बर अंकित हो गया है, खसरा नम्बर 700 में साबिक खसरा नम्बर 463 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता शामिल हुआ है परन्तु मिला क्षेत्रफल में 463 के स्थान पर 468 सहवन से लिखा गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 596 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा चारागाह भूमि साबिक नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 595, 593, 597, 598, 599, 600, 611, 612, 613 के बतरफ उत्तर में स्थित है जिसे तहसीलदार द्वारा वर्तमान में 700/1.89 में से 1 हैक्टयर गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दी जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि न होकर चारागाह भूमि है तथा अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 580 के सामने बतरफ उत्तर तथा खसरा नम्बर 585 586 के सामने व 578 579 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जिसे वर्तमान रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला अंकित कर किया जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होनी

P.T.O.

चाहिये व तहसीलदार कोटपुतली द्वारा तैयार नये खसरा नम्बर 700/1/1.00 हैक्टयर गैर मुमकिन चारागाह दर्ज की जानी चाहिये तथा 700/0.86 गैर मुमकिन नाले के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु तहसीलदार कोटपुतली ने रिकार्ड के विपरित जाकर गलत तरमीम करने की भारी भूल की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने की भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 700/0.86 जो कि साबिक खसरा नम्बर 578, 579 जो कि गैर मुमकिन रास्ते से बना है की किस्म गैर मुमकिन नाले के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.07.15 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2024 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 578 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 579 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 596 किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 468 किस्त चाही आलिफ जाव, खसरा नम्बर 448 किस्त गै.मु. रास्ता एवं खसरा नमबर 464 किस्म गै.मु. नाली दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 700 रकबा 0.86 हैक्टयर गै.मु. नला दर्ज है तथा साबिक खसरा नम्बर 579 का साबिक नक्शे की नाप के अनुसार करीब 0.18 हैक्टयर का रास्ता वर्तमान रिकार्ड व नक्शे में दर्ज नही है बाकी शेष रकबा सार्वजनिक निमार्ण विभाग के नाम अवाप्त हो चुका है जिसका नया खसरा नमबर 700/1 है व साबिक खसरा नमबर 448 साबिक रिकार्ड के अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता अंकित है तथा अपनी रिपोर्ट में साबिक रिकार्ड व नक्शे के आधार पर वर्तमान रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्त किया जाना उचित कथन किया है, साथ ही पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में प्रकरण की मौका रिपोर्ट अपेक्षित एवं सार्वजनिक निमार्ण विभाग को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक बताया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो प्रकरण में सार्वजनिक निमार्ण विभाग को पक्षकार बनाया गया है और ना ही तहसीलदार से प्रकरण में वर्तमान की मौका रिपोट प्राप्त किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2017 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2017 को निरस्त किया जाता है तथा

P.T.O.

प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व सार्वजनिक निमार्ण विभाग को पक्षकार संयोजित कर एवं तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट तलब कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।